कृषि विभाग
1984-85
Civil

[लो० ले० प्र० स-355]

बिहार विधान-सभा

लोक-लेखा समिति

का

प्रतिवेदन सं० 346

कृषि विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1984-85 (सिविल) की कंडिकाओं पर लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन।

सत्यमेव जयते

(दिनांक..................... को सदन में उपस्थापित)

विषय सूची

	पृष्ठ
(1) लोक लेखा समिति का गठन ..	'क'
(2) लोक लेखा समिति की उपसमिति-3का गठन ..	'क'
(3) महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग के पदाधिकारीगण	'ख'
(4) सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण	'ख'
(5) प्राक्कलन	'ग'
(6) प्रतिवेदन	1 से 18

34 एल० ए०—

लोक लेखा समिति का गठन (2001-2002)

सभापति

(1) श्री राम देव वर्मा, स०वि०स०

सदस्यगण

(2) श्री मुनेश्वर चौधरी, स०वि०स०
(3) श्री राम चन्द्र राय, स०वि०स०
(4) श्री यदुवंश कुमार यादव, स०वि०स०
(5) श्री शोभाकान्त मंडल, स०वि०स०
(6) श्री गिरधारी यादव, स०वि०स०
(7) श्री मुनीलाल यादव, स०वि०स०
(8) श्री प्रेम कुमार, स०वि०स०
(9) श्री राम नारायण मंडल स०वि०स०
(10) श्री प्रभू दयाल सिंह, स०वि०स०
(11) श्री हरि नारायण सिंह, स०वि०स०
(12) श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, स०वि०स०
(13) श्री राम नाथ ठाकुर, स०वि०स०
(14) श्री चन्डी प्रसाद, स०वि०प०
(15) श्री बालदेव महतो, स०वि०प०
(16) श्री नवल किशोर यादव, स०वि०प०
(17) श्री बालेश्वर सिंह भारती, स०वि०प०
(18) श्री डा० मु० शमीम, स०वि०प०

बिहार विधान-सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति की उप-समिति (3) के सदस्यगण

सभापति

(1) श्री रामदेव वर्मा, स०वि०स०

संयोजक

(2) श्री हरि नारायण सिंह, स०वि०स०

सदस्यगण

(3) श्री प्रेम कुमार, स०वि०स०
(4) श्री प्रभु दयाल सिंह, स०वि०स०
(5) श्री गिरिधारी यादव, स०वि०स०
(6) श्री चन्डी प्रसाद, स०वि०प०
(7) श्री बालदेव महतो, स०वि०प०

महालेखाकार कार्यालय

(1) श्री एस० के० एफ० कुजूर, प्रधान महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड, रांची
(2) श्री वीरेन्द्र कुमार, महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 बिहार एवं झारखंड, पटना
(3) श्री मान सिंह, उप-महालेखाकार, पटना ।
(4) श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना ।
(5) श्री ओम प्रकाश सिंह, सहायक लेखा परीक्षा, अधिकारी, पटना ।
(6) श्री केदार नाथ प्रसाद सिन्हा, वरीव लेखा परीक्षक, पटना ।
(7) श्री चन्द्र नाथ मिश्र, वरीय लेखापरीक्षक, पटना
(8) श्री ललित शंकर मिश्र,, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।

वित्त विभाग

(1) श्री एम०एन० प्रसाद, वित्त आयुक्त, बिहार, पटना ।
(2) श्री एस० के० केशव, अपर वित्त आयुक्त, बिहार, पटना ।
(3) श्री वैद्यनाथ मिश्र, अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना ।
(4) श्री फुलेश्वर पासवान, बजट पदाधिकारी-सह-उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार

बिहार विधान-सभा सचिवालय

(1) श्री जे०पी०पाल, सचिव
(2) श्री ब्रज किशोर सिंह प्रभात—उप-सचिव ।
(3) श्री राधाकृष्ण रजक,—अवर सचिव ।
(4) श्री त्रिपुरारी प्रसाद,—अवर सचिव ।
(5) श्री जगदेव पासवान,—प्रशासी पदाधिकारी ।
(6) श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी ।
(7) श्री टेक नारायण झा, प्रशाखा पदाधिकारी
(8) श्री शिवपूजन प्रसाद,—प्रशाखा पदाधिकारी ।
(9) श्री बेचन मंडल, प्रधान टंकक ।

प्राक्कथन

मैं, सभापति लोक लेखा समिति की हैसियत से कृषि विकास में संबंधित अंकेक्षक प्रतिवेदन वर्ष 1984-85 (सिविल) की कंडिकाओं पर लोकलेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 8 फरवरी, 2002 को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित हुआ । उक्त प्रतिवेदन को तैयार करने में महालेखाकार, वित्त विभाग तथा सभा-सचिवालय के पदाधिकारियों ।कर्मचारियों जिन्होंने अपना अपरिमेय श्रम से इसको तैयार करने में अपना सहयोग दिया है उसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

माननीय सदस्यगण अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन तैयार करने में जो भूमिका निभाई है उन्हें मैं सहृदय धन्यवाद देता हूं ।

पटना:
दिनांक 18 फरवरी, 2002 ।

रामदेव वर्मा;
सभापति;
लोक लेखा समिति ।

कृषि विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1984-85 (सिविल) की कंडिकाओं पर लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या-346

वर्ष 1984-85 (सिविल) की कंडिका संख्या—1.2.06, 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 2.2.2, 2.2.5, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 3.12, 6,5,1, 6,5,2, 6,5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7, 6.1(ख) एवं 7.1।

कृषि विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1984-85 (सिविल) की कंडिकाओं पर लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन ।

कृषि विभाग

वर्ष 1984-85

क्रमांक—1 कंडिका संख्या-1.2.09

कर्जे एव पेशगियां

विभाग के शीर्ष "705 कृषि के लिए कर्जे" के अन्तर्गत 31 मार्च, 1985 से कर्ज एवं पेशगियों के मद में शेष कुल 1445306630 रुपये थे तथा शीर्ष "722 मशीनरी तथा इंजीनियरी उद्योग" के लिये कर्जे के औचित्य बिहार राज्य कृषि उद्योग निगम के 1,95,49,806 रुपये कर्ज थे जिसका उप शीर्षवार आंकड़ों का वित्त लेखे वर्ष 1984-85 के विवरण संख्या-18 पर देखा जा सकता है।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग से इसपर कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशें

विभाग द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । समिति इस कंडिका को इस निदेश के साथ स्थगित करती है कि विभाग भविष्य में उत्तर उपलब्ध करावें । समिति इस निदेश के साथ इस कंडिका को अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक-2 कंडिका संख्या 1.2.11

सरकार के निवेश

कृषि विभाग ने निम्नलिखित निगमों में पूंजी निवेश किये थे ।

निवेश का वर्ष	1984-85 के अन्ततक निवेशित राशि
1. बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम—	
1. 1976-77 और 1980-81	3,42,15,000
2. 1983-84 और 1984-85	94,52,000
कुल ..	4,36,67,000

विभागीय स्पष्टीकरण

(क) हिस्सा पूंजी की राशि—3.00 लाख (तीन लाख रुपया)

(ख) राजस्व के रूप में (कैपिटल एक्सपेन्डीचर) 10.58 (दस लाख अनठावन हजार रुपया) ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशें

विभागीय स्पष्टीकरण स्पष्ट नहीं है । विभाग को अपने निगमों के शेयर एवं लाभांश का लेखा-जोखा रखना चाहिए ।

समिति उक्त निदेश के आलोक में इस कंडिका को अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

क्रमांक-3 कंडिका संख्या 1.2.12

सांविधिक निगमों/कम्पनियों और सहकारिताओं आदि द्वारा लिए गये कर्जों आदि की वापसी के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी के लिए प्रासंगिक देयता 31 मार्च, 1985 को 748.32 करोड़ रुपया (ब्याज सहित) थी जिसकी तुलना में दी गई गारंटी की अधिकतम राशि 952.72 करोड़ रुपया थी । वर्ष के दौरान कोई भी गारंटी की याचना नहीं की गई ।

कंडिका संख्या 1.2.13

सरकार द्वारा दी गई गारंटी के विचार हेतु कुछ मामले में संस्थानों को गारंटी कमीशन देना अपेक्षित है । छः मामलों में वसूलने के लिये गारंटी कमीशन की बकाया राशि 31 मार्च, 1985 को 22.25 करोड़ रुपया थी जिसको

नहीं देने में मुख्य दोषी बिहार राज्य खाद्य निगम और सिविल आपूर्त्ति निगम (10.82 लाख रुपया) और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 6.12 लाख रु० है। अन्य मामलों के संबंध में सूचना नहीं दी गयी है। (अगस्त 1985)।

विभागीय स्पष्टीकरण

उपरोक्त दोनों कंडिकाओं के संबंध में विभाग से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशें

समिति इस निदेश के आलोक में इन कंडिकाओं को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है कि विभाग भविष्य में उक्त विन्दुओं पर ध्यान दें।

क्रमांक-4 कंडिका संख्या-2.2.2

अनुपूरक धन व्यवस्था जो अनावश्यक सिद्ध हुई।

अनुदान संख्या-20 कृषि एवं पशुपालन को दत्तमत अनुदान वर्ष 1984-85 की व्यय एवं बचत की सूची नीचे दी जा रही है:—

1. मूल अनुदान	..	..	1,07,54,94,300
2. अनुपूरक अनुदान	..	..	10,80,06,625
3. कुल अनुदान	..	..	1,18,35,00,925
व्यय	..	..	1,07,74,49,925
बचत	..	..	10,60,31,000
अभ्यर्पण	..	..	10,18,57,385

उपर्युक्त में 6,11,80,962 रुपये सम्मिलित नहीं है जो आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर व्यय किए गए।

उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता चलता है कि जो अनुपूरक अनुदान लिया गया था अनावश्क सिद्ध हुआ क्योंकि कुल व्यय मूल अनुदान तक ही हुआ।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस संबंध में विभाग की ओर से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशें

विभाग द्वारा कंडिका के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी समिति विभाग से अपेक्षा रखती है कि ऐसी कार्रवाई करें जिससे अनुपूरक धन व्यवस्था अनावश्यक सिद्ध नहीं हो।

उक्त निर्देश के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

क्रमांक-5 कंडिका संख्या 2.2.5

अनुदान का आंशिक उपयोग

अनुदान संख्या 20 कृषि और पशुपालन के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक लगातार बचत होती रही जिसकी प्रतिशतता क्रमशः 16.95, 18.87 एवं 8.96 थी जिससे पता चलता है कि अनुदान की कम उपयोग प्रतिवर्ष जारी रहा जिससे अनुदान का आंशिक उपभोग ही हुआ ।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशें

विभाग द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नही हुआ है फिर भी समिति विभाग से यह अपेक्षा करती है कि प्रतिवर्ष लगातार बचत के कारणों का स्पष्टीकरण समय पर महालेखाकार को भेजने की दिशा में कार्रवाई करें ।

उक्त निर्देश के साथ समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

क्रमांक 6 कंडिका संख्या 2.3

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल ऐसे व्यय के लिये लिया जाता है जिसकी व्यवस्था बजट में नहीं होती है । वर्ष 1984-85 के दौरान कृषि विभाग में संस्वीकृत आकस्मिकता निधि से अग्रिम को पूरा किया गया, किन्तु वर्ष के अन्त तक इस राशि को वापस नहीं किया गया जिसका ब्योरा इस प्रकार है :—

अनुदान।विनियोग संख्या और नाम	लेखे का प्रधान शीर्ष	व्यय की गई राशि (लाख रुपये में) ।
20 कृषि और पशुपालन	1. 305 कृषि	214.17
	2. 310 पशुपालन	269.98

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशें

आकस्मिक निधि से अग्रिम प्राप्त करने के बाद इसका समायोजन वर्ष के अन्त क कराना आवश्यक है। समिति विभाग से यह अपेक्षा रखती है कि विभाग आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम को समय पर समायोजन कराने की दिशा में कारगर कार्रवाई करे।

उक्त निदश के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक 7 कंडिका संख्या 2.5

विभागीय आंकड़ों का लेखा कार्यालय के आंकड़ों से समाधान

विभागीय अधिकारी व्यय पर उचित नियंत्रण रख सकें इसके लिये सरकार के स्थायी अनुदेश है कि उनके खातों में अभिलिखित व्यय को महालेखाकार के खाते में दर्ज आंकड़ों के साथ-साथ समय पर समाधान होना चाहिये। वर्ष 1984-85 के दौरान विनियोग लेखा के अन्तर्गत लेखा के अंतिम संवरण होने तक क्षेत्र विकास से संबंधित 12.77 करोड़ रुपये का शीर्ष "308-क्षेत्र विकास" के अन्तर्गत समाधान नहीं किया गया है।

विभागीय स्पष्टीकरण

उत्तर अप्राप्त।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय आंकड़ों का महालेखाकार कार्यालय के आंकड़ों से समय-समय पर मिलान कराना आवश्यक है। समिति विभाग से अपेक्षा रखती है कि विभाग अपने आंकड़ों का समयवसमय पर महालेखाकार कार्यालय से मिलान कराये।

उक्त निर्देश के साथ समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक 8 कंडिका संख्या 2.6

बचत/अधिक्य का स्पष्टीकरण प्राप्त न होना

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त होने के बाद ब्योरेवार विनियोग लेखे नियंत्रण अधिकारी को भेजा जाता है और अपेक्षा की जाती है कि वे अन्तर का स्पष्टीकरण भेजेंगे। परन्तु देखा गया कि विभाग ने स्पष्टीकरण नहीं भेजा।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशें

बचत एवं अधिक्य का स्पष्टीकरण महालेखाकार को समय पर भेजना आवश्यक होता है। अक्सर विभाग द्वारा इस तरह की कारंवाई नहीं की जाती है जिसके कारण अंकेक्षण आपत्ति होता है। विभाग को बचत और अधिक्यों के सम्बन्ध में महालेखाकार को समय पर स्पष्टीकरण भेजने की अपेक्षा समिति विभाग से रखती है।

उक्त निर्देश के साथ समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक 9 कंडिका संख्या 2.7

आवश्यकता से पूर्व ही निधियों की निकासी

वित्तीय नियमों के अनुसार खजाने से धन की निकासी तभी की जाती है जब उसका संवितरण आवश्यक हो। कोई भी अव्ययित राशि जिसकी तत्काल संवितरण की आवश्यकता नहीं तो उसे खजाने में तुरंत जमा कर देना चाहिये। नियमों में निषेध है कि तत्काल धन की आवश्यकता न हो तो नकद मांग पर जमा डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंक या डाक बचत में धन को न रोका जाय। वर्ष 1984-85 के दौरान कृषि विभाग ने आवश्यकता पूर्व ही धन की निकासी कर लिया था जिसका ब्योरा निम्न प्रकार है :—

अनुदान।संवितरण अधिकारी	निकासी की गई राशि	उद्देश्य	वितरण की शेष राशि की तिथि	अभ्युक्ति
अनुमंडलीय कृषि अधिकारी, गुमला	2.79 लाख (जून 1982 से अगस्त 1984)।	कार्यालय व्यय और बीजों के संवितरण के के लिये।	.. 2.79लाख (जुलाई 1985)।	राशि की मांग मांग पर रुपये रखा गया।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशें

जब तत्काल धन की आवश्यकता नहीं थी तो किस परिस्थिति में विभाग द्वारा धन की निकासी की गई, निकासी का क्या औचित्य था, विभाग को इसपर विचार

करना चाहिये । अव्यवहृत राशि को तुरंत जमा कर देना चाहिये । विभाग से समिति अपेक्षा रखती है कि इस तरह का चूक विभाग नहीं करें ।

उक्त निर्देश के साथ समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

क्रमांक 10 कंडिका संख्या 3.12

निर्धारित निधियों का उपयोग नहीं किया जाना

सरकार द्वारा किसानों के लिये विभिन्न योजनाओं जैसे सिंचाई क्षमता की वृद्धि करने, बीज, खाद, कीटनाशक आदि का वितरण करने (8.80 लाख रु०) कृषि गोदामों का निर्माण करने 1.15 लाख रु० और अन्य योजनाओं (8.08 लाख रु०) का निष्पादन करने के लिये 1980-81 से 1983-84 के दौरान जिला कृषि अधिकारी चाईबासा (डी०ए०ओ०) को 18.03 लाख रुपये के आवंटन किये गये थे । डी०ए०ओ० ने निकासी की गई पूरी राशि को मांग कर जमा के रूप में (15.63 लाख रु०) और बैंक ड्राफ्ट के रूप में 2.40 लाख रु० रख लिया था । न तो सभी 6 बैंक ड्राफ्टों जिसकी तिथि सितम्बर में समाप्त हो गई थी कि पुनर्वैधीकरण के लिये प्रयास किया गया न ही कोषागार में वापस करने की कारंवाई की गई ।

डी०ए०ओ० के अधीन 6 ट्रैक्टर जो किसानों द्वारा उपयोग के लिये थे 1975 और 1984 के बीच बेकार पड़े हुए थे जबकि उनकी मरम्मती के लिए 0.51 लाख रु० प्राप्त थे । सरकार द्वारा सितम्बर 1981 और मार्च 1983 में 0.47 लाख रु० के आवंटन के बावजूद एक शेड का निर्माण करने के कारण 6 ट्रैक्टरों में से एक ट्रैक्टर खुले आसमान में पड़ा हुआ था राशि मांग पर जमा रूप में अनुपयोजित रह गई जिसके कारणों का स्पष्टीकरण नहीं किया गया था । इस प्रकार 18.03 लाख रुपये की निधियों को रोक रखने के फलस्वरूप कृषकों को योजना के लाभ से बंचित कर दिया गया था ।

विभागीय स्पष्टीकरण

यह सही है कि वर्ष 1980-81 की अवधि में भिन्न-भिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 18.03 लाख रु० मुहैय्या कराया गया था परन्तु बाद में सरकार द्वारा कुछ योजना की समाप्ति जैसे सुखा खेती योजना एवं संरक्षण योजना आदि के समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप निधियों का उक्त अवधि में उपयोग नहीं किया जा सका । इसके साथ-साथ उक्त अवधि में पदस्थापित तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी श्री कमल प्रसाद सिंह की लम्बी अवधि के बीमारी के बाद निधन हो जाने के फलस्वरूप भी कुछ योजनाओं का कार्यान्वयन में बाधा हुई ।

उक्त अवधि में सरकार द्वारा महैया कराई गयी 18.03 लाख रु० में से जनवरी-फरवरी 1988 में कुल 12,14 199.89 रु० सरकारी कोषागार में जमा कर दिया गया था तथा शेष बचे राशि में 1,08,595.53 रु० पुनः कोषागार में जमा किया गया । इस प्रकार कुल जमा राशि 13,20,795.22 रु० होता है इसके अलावे 0.13 लाख रु० जमा करने की कार्रवाई की जा रही है। शेष करीब 4.70 की रकम किसानों के हित में खर्च किया गया ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशें

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

क्रमांक-11 कंडिका संख्या-6.5.1.

बिहार राज्य कृषि बाजार बोर्ड पटना

बिचौलियो और अधिक लाभ उठाने वालो के शोषण से उत्पादन करने वालों को बचाने के लिये तथा अपने उत्पादन पर एक उचित प्रतिफल 677.84 लाख रुपया दिया था तथा उसने उस व्यय को अपने लेखाओं में अंतिम व्यय के रूप में बुक किया था यह सुनिश्चित किये बिना कि एक वर्ष के लिये दिये गये अनुदान वास्तव में उसी वर्ष के दौरान व्यय किये गये थे अन्यथा नहीं। इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा सरकार को दिये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र से अनुदान के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की सही स्थिति का ब्योरा प्राप्त नहीं हुआ था । बोर्ड ने बताया कि निर्माण कार्य के लिये दी गई निधि एक स्वीकार किया गया व्यय है और इस प्रकार उन्हें दी गई वैसी निधियों को व्यय मान लिया गया ।

बोर्ड द्वारा निर्गत किया गया 677.84 लाख रुपया की कुल राशि में से विभिन्न स्थानों में 324 हाटों और 67 गोदामो के निर्माण के लिये बोर्ड ने 5 अभियंत्रण डिविजनों को 544.03 लाख रुपये दिये गये थे। अभियंत्रण डिविजन ने मार्च 1984 के अन्त तक केवल 199.58 लाख रुपया हो उपयोग कर पाया।

निर्धारित की गई समय सूची हाट के निर्माण के लिए 6 महीनों तथा गोदामों के के निर्माण के लिए 9 महीनों की थी । सूची के अनुसार कार्य की प्रगति नहीं हुई थी । निर्माण किये जाने वाले 324 हाटो और 67 गोदामों में इस अवधि के दौरान केवल 37 हाट पूरे किये गये थे, 147 हाटें और 44 गोदाम प्रगति में थे और 187.52 लाख रुपया मूल्य के 140 हाट 23 गोदामो को आरम्भ 1983-84 के अन्त तक किया ही नहीं गया था। 31 मार्च 1984 को बाकी बची 163 योजनाओं में से 72 योजनाएं (70 हाट और 2 गोदाम) 1984-85 के दौरान आरम्भ की गई थी बाकी बची 91 योजनाएं (70 हाट और 21 गोदाम) 31 मार्च 1985 तक आरम्भ नहीं की गई थी। बोर्ड ने बताया कि भू-अर्जन में कठिनाई सीमेंट और लोहे की अनियमित आपूर्त्ति और अनुकूल वैकल्पिक जगह को महत्व देना प्रमुख कारण है जिनसे कार्य की प्रगति में बाधा पहुंची थी।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस संबंध में विभाग से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशें

विभाग द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया । समिति विभाग से अपेक्षा रखती है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये बिन्दुओं की समीक्षा कर अपने स्तर से इसपर कारगर कार्रवाई करें ।

2. की गई कार्रवाई से समिति को अवगत कराया जाय ।

क्रमांक-12 कंडिका संख्या-6.5.2

वित्त लेखे और लेखा परीक्षा

बोर्ड मुख्य रूप से राज्य और केन्द्र सरकार के अनुदानों द्वारा तथा बाजार समितियों द्वारा वसूले गए लाइसेंस फीस और बाजार फीस के कुछ प्रतिशत पर अंशदान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है । नमूना जांच के दौरान पाई गई मुख्य बातों का उल्लेख अनुवर्त्ती कंडिकाओं में किए गए हैं—

बोर्ड की विशिष्ट विकास योजनाओं के निष्पादन के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिये गये थे । बोर्ड ने प्राप्त अनुदानों में से 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान क्रमशः 28 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 50 प्रतिशत अनुदान निर्गत किया था कुल मिलाकर बोर्ड ने विकास योजना का निष्पादन करने के लिये निष्पादन करनेवाले विभिन्न एजेंसियों को 1981-82 से 1983-84 के दौरान (कुल प्राप्तियों का 62 प्रतिशत निर्धारित कर) 10.95.27 लाख रुपये के उपलब्ध अनुदान में से केवल जनवरी, फरवरी 1986 में 12.14 लाख रु० की राशि कोषागार में जमा कर दी गई है तथा अव्ययक्त शेष राशि को वापस करने की कार्रवाई की जा रही है फिर भी निधियों का उपयोग नहीं करने के कारणों का स्पष्टीकरण अबतक नहीं दिया गया है ।

विभागीय स्पष्टीकरण

पर्षद को सरकार के विभिन्न विकास एवं निर्माण योजनाओं के विरुद्ध राज्य एवं केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त होता है जो पर्षद के विभिन्न सात कार्य प्रमंडलों के द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाता है ।

पर्षद को अपनी आय के मद में पर्षद के अधीन कुल 122 बाजार समितियों द्वारा प्राप्त आय पर अंशदान प्राप्त होता है जिससे पर्षद का स्थापना एवं अन्य व्ययों को वहन किया जाता है ।

वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक का प्राप्ति एवं व्यय का व्यौरा कंडिका म जो अंकित है वह सही है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशें

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक 13 कंडिका संख्या—6. 5. 3

श्रेणीकर प्रयोगशाला की स्थापना में विलम्ब

गुमला, चाईबासा, लोहरदगा और चकुलिया में श्रेणीकर प्रयोगशालाओं के लिए सरकार द्वारा क्षेत्रीय निदेशक रांची को (1982—83 के दौरान 3.00लाख रुपया और 1983—84 के दौरान 1. 00 लाख रुपया) 4. 00 लाख रुपया की राशि दी गई थी। यह राशि जनवरी 1986 तक अनुपयोजित रह गई। बोर्ड ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए खरीदे जाने वाले उपकरण और सामग्रियों का अबतक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग ने समिति को जानकारी दी है कि उपर्युक्त विषय के निष्पादनार्थ संचिका संख्या 23 (वर्गी—अंकेक्षण—03) 1989 आपके पास भेजी गई थी परन्तु आपने अलग से अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करने को कहा है। उक्त कंडिका के अनुपालन में कहना है कि—

1. रांची परिक्षेत्र में 8 जगहो पर वनोत्पादन के लिये विशेष वर्गीकरण केन्द्र स्थापित करने हेतु 1982—83 एवं 83—84 के लिए क्रमशः 3. 00 लाख एवं 1. 00 लाख राशि अनुदान स्वरूप पर्षद को मिला। इस कुल 4. 00 लाख राशि को पर्षद से क्षेत्रीय निदेशक रांची को वर्गीकरण केन्द्र स्थापित करने हेतु भुगतान किया गया।

क्षेत्रीय निदेशक रांची ने सूचित किया कि इस 4.00 लाख राशि को वर्गीकरण स्थापित करने के बजाए सत्र 1986—87 के सामान्य व्यय मद में सामंजित कर लिया गया है - लेकिन इस तरह के सामंजन का आदेश भारत सरकार या बिहार सरकार या पर्षद का है स्पष्ट नहीं हो पाया है इसकी स्पष्ट जानकारी क्षेत्रीय निदेशक रांची या नियंत्रक विपणन पर्षद ही दे सकते हैं।

मेरी राय में इस तरह की अनुदान राशि को दूसरे मद में सामंजन करने का आदेश सक्षम अधिकारी यानि भारत सरकार ही दे सकती है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशें

विभागीय स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है । प्रयोगशाला की स्थापना में बिलम्ब किया गया है ।

समिति इस निर्देश के साथ इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है कि विभाग भविष्य में इस तरह की भूल नहीं करे ।

क्रमांक--14 कंडिका संख्या 6. 5. 4

बोर्ड के लिए समितियों से अंशदान

अधिनियम और नियमावली के उपबन्धों के तहत बाजार समितियों को अपनी कुल आय से निर्धारित प्रतिशत पर बोर्ड को अंशदान देना है 1972-73 से 1983—84 की अवधि के लिए 77 समितियों द्वारा देय अंशदान के कुल 171. 97 लाख रु० 31 मार्च 1984 तक बकाया थे ।

अंशदान के लिए बकाया के संचयन के लिए बोर्ड द्वारा दिये गये कारणों में नियमावली और अधिनियम के क्रमशः नियम 68 (11) और धारा 33 (ग) की असंगति और कुछ बाजार समितियों की कमजोर वित्तीय स्थिति थे बोर्ड स्तर पर असंगति दूर करने की कार्रवाई जनवरी 1986 में प्रारंभ की जा चुकी है । बोर्ड ने बताया कि इस मद पर बकाये की राशि 31 मार्च 1986 को 104.52 लाख रु० थी । बिलम्बित अदायगी पर ब्याज लगाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

विभागीय स्पष्टीकरण

अधिनियम एवं नियमावली में उपबंधों के तहत पर्षद को बाजार समितियों से प्राप्त आय पर अंशदान के रूप में प्राप्ति होती है वर्ष 1972--73 से 83--84 की अवधि में जिन बाजार समितियों के पास अंशदान के मद में 171. 97 लाख की राशि बाकी रह गये थे उसका मुख्य कारण यह था कि नियमावली एवं अधिनियम के नियम 68 (11) और धारा 33 (ग) के अनुसार अंशदान के गणन आधार पर कुछ मतभेद थे। यथा बाजार समिति की कुल आय पर निर्धारित दर से अंशदान का भुगतान किया जाय अथवा मात्र बाजार शुल्क एवं अनुज्ञप्ति शुल्क से प्राप्त आय पर अंशदान दिया जाय । इस मतभेद का निराकरण पर्षद स्तर से किया गया ।

अंशदान मद में वसूली की धीमी गति का मुख्य उद्देश्य यह था कि कई बाजार समितियों जिनमें मुख्यतः आईडा समिति जिन्हें विश्व बैंक द्वारा ऋण

उपलब्ध कराये गये थे इसकी मूलधन एवं सूद की राशि किश्तों में वापस करनी थी। इस दायित्व को पूरा करना समय पर आवश्यक था जो अभी भी जारी है। इसके पश्चात वर्ष 1984—85 में यह भी प्रयास किया गया कि ऐसी बाजार समितियों से अंशदान में किश्त के रूप में राशि प्राप्त की जाय तथा इसे पूरा भी किया जा रहा है। तथा जिन बाजार समिति की वित्तीय स्थिति अच्छी है उन समितियों के त्रैमासिक आय पर अंशदान की वसूली की जा रही है, यही कारण है कि वर्ष 1984—85 के पश्चात समिति की आय पर आय के अनुपात में अंशदान वसूली में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

वर्तमान में दिसम्बर 1988 तक की आय पर दि० 31 मार्च 1989 तक अंशदान मद में 243. 87 लाख की राशि पर्षद का बकाया है जिनमें वर्ष 1988—89 के पूर्व का 103. 63 लाख बकाया है जिसे समिति की वित्तीय स्थिति को देखते हुए किस्तों में राशि की वसूली की जा रही है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशें

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक—15

कंडिका संख्या—6. 5. 5

प्रशिक्षण केन्द्रों का उपयोग नहीं किया जाना

परियोजना के निष्पादन में तथा बाजार समिति के वित्त प्रबंधन में संलग्न सभी श्रेणी के स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 19 मई, 1975 से कार्य आरंभ करने के लिए बिहार कृषि बाजार प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये, इस उद्देश्य के नौ पाठ्यक्रमों का विचार किया गया। प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण दिये जाने वाले अपेक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या निर्धारित नहीं की गई थी। इन 9 पाठ्यक्रमों में से पाठ्यक्रम संख्या 4 (श्रेणीकर पाठ्यक्रम) और पाठ्यक्रम सं० 5 प्रयोगशाला अनाज विश्लेषण और एगमार्क श्रेणी (पाठ्यक्रम) और (पाठ्यक्रम संख्या 6) बाजार सर्वेक्षण और अन्वेषण में प्रशिक्षण) में कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

कोर्स संख्या 4, 5 एवं 6 के संबंध में बोर्ड ने बताया कि इनकी उपयोगिता को विचार करते हुए यह निश्चित किया गया कि तुरंत नहीं दिया जाय और भविष्य के लिए इसे स्थगित कर दिया जाय। कोर्स नं०—1 एवं 7 के संबंध में बताया गया है कि यह 1976—77 से बन्द कर दिया गया क्योंकि वांछित संख्या में प्रशिक्षणार्थियों को 1976—77 में ही प्रशिक्षण दे दिये गये थे। 8 के बारे में बताया गया कि इसमें त्रुटियों के कारण थोड़े से समय के लिए बन्द कर दिया गया।

उपलब्ध आंकड़ो के अनुसार क्षमता क मकाबले प्रशिक्षणार्थियः की संख्या नगण्य थी।10 वर्षों (1975—76 से 1984—85) में कुल 983 को प्रशिक्षण दिय गये जो प्रतिवर्ष 99 व्यक्ति तथा प्रतिमाह 8 व्यक्ति होत हैं जिनपर 18. 85 लाख रूपये व्यय हुए जो लगभग 1400 रूपय से ज्यादा प्रति प्रशिक्षणार्थी पड़ते हैं।

प्रशिक्षित किये जाने वाले कुल प्रशिक्षणार्थियो की संख्या अबतक उपलब्ध नहीं थी। बोर्ड ने बताया कि उनसे अनुकुल विचार प्राप्त किया जा रहा हैं।

1974—75 से 1984—85 तक प्रशिक्षण केन्द्र पर कुल 18. 85 लाख व्यय व्यय हुआ था।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग से इस पर कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ यह

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशें

बोर्डा के पास प्रशिक्षित किए जाने वालो की संख्या नहीं होना चिन्ता का विषय हैं। प्रशिक्षण केन्द्र का उपयोग समुचित ढ़ग से नहीं हुआ है।

समिति विभाग को निर्देश देती हैं कि विभाग इसकी समीक्षा कर अपने स्तर से कारगर कार्रवाई करे।

समिति उक्त निदेश के आलोक में अब इस कंडिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं।

क्रमांक—16 कंडिका संख्या 6. 5. 6

कृषि बाजारों का मूल्यांकन

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संख्या (आई० ए० डी०) परियोजना के अधीन बदलती हुई बाजार पद्धति से अवगत कराकर लाभ निर्धारण करने के लिए 10 बाजारों के मामले में मूल्यांकन अध्ययनकार्य 8.09 लाख रुपया की अनुमानित लागत पर जुलाई 1972 में ए०एन० सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान पटना को पांच वर्षों के अन्दर अध्ययन पूरा करने के लिए स्वीकृत हुआ परन्तु मूल्यांकन पूरा नहीं होने के कारण 14.84 लाख रुपये के अगले अनुमानित लागत पर मार्च 1986 तक उसका विस्तार किया गया था। संस्थान ने दिसम्बर 1984 तक 6 बाजारो के मामले में बोर्ड को अंतिम प्रतिवेदन दिया था जबकि चार बाजारों के प्रतिवेदनों की प्रतीक्षा थी। संस्थान को 22.93 लाख रू० की कुल अनुमानित लागत के मुकाबले 1983—84 तक 15.28 लाख रुपया का भुगतान किया गया था ।

संस्थान द्वारा मुजफ्फरपुर बाजार (उत्तर बिहार के सबसे बाजारों में एक) पर दिए गये मूल्यांकन प्रतिवेदन से निम्नलिखित प्रमुख बातें प्रकट हुईं—

1. सीमांत और छोटे किसानो को बाजार के अहाते में विभिन्न बाजार सुविधाओं के बारे में जानकारी नहीं है और उनका अधिकांश उत्पादन गांवो में बेचा जाता है।

2. उत्पादन को मूल्य बेचने वालों और खरीदने वालों के बीच पारस्परिक समझौते की वार्ता द्वारा निर्धारित की जाती है। खुली डाक बिक्री को सर्वविदित नहीं किया जा सका।

3. बाजार के अहाते में मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है और विभिन्न सामग्रियो के मूल्य से बिक्रेताओ को पूर्ण अवगत कराने का प्रयास की कमी है।

4. बाजार के अहाते में उपलब्ध श्रेणीकर उपकरणों का उपयोग करने के लिए किसानों या व्यापारियो की खोज करने में बाजार प्राधिकारी असफल रहे थे। जिसके कारण सामानो का मानकीकरण पर उनका प्रयास उपेक्षणीय रहा।

5. व्यापारियों / किसानो ने दी गई भंडारण सुविधाओ का कम उपयोग किया। व्यापारियों और उत्पादन करने वालो के उपयोग के लिए निर्माण किये गये गोदामो को किराये पर भारतीय खाद्य निगम, भंडागार निगम आदि को दे दिया गया।

मूल्यांकन दल ने साथ-साथ यह सुझाव दिया कि बाजार के अहाते के बाहर अप्रधिकृत लेन-देन पर नियंत्रण रखे जाने की आवश्यकता है तथा उनके द्वारा पारिश्रमिक मूल्य और तुरन्त अदायगी पर सामानों का तुरन्त निपटारा करके उत्पादन करने वालों के हित को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

मूल्यांकन दल का प्रतिवेदन यह दर्शाता है कि कृषि उत्पादन के लिए बाजार की स्थापना करने का मूल उद्देश्य बहुत हद तक पूरा नहीं हो सका।

मूल्यांकन दल के जांच परिणाम पर बोर्ड द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अन्य बाजारों के मूल्यांकन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग के पत्रांक 439, दिनांक 20 जनवरी, 1989 के द्वारा सूचित किया कि कंडिका संख्या 6. 5. 6—कृषि बाजारों का मूल्यांकन संबंधी सूचनाएं निम्न प्रकार हैं:—

(क) अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान द्वारा 9 (नौ) बाजारों के अन्तिम मूल्यांकन प्रतिवेदन दिए गए हैं। प्रत्येक प्रतिवेदन पर मुख्यालय स्तर पर क्षेत्रीय पदाधिकारियों की बैठकों में विचार किया गया तथा उनकी अनुशंसाओं के अनुसार कार्य करने पर बल दिया गया।

मुजफ्फरपुर तथा अन्य सभी बाजारों के मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार भाग संबंधित पणन सचिव, क्षेत्रीय निदेशक एवं अध्यक्ष, बाजार समिति को भेजा गया है और अनुशंसाओं को कार्यरुप देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। अधिकांश अनुशंसाएं नीति संबंधी हैं और उन्हें कार्यरुप धीरे-धीरे ही दिया जा सकता है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढाना नहीं चाहती है कि विभाग कृषि बाजारों का मूल्यांकन समय-समय पर करे।

क्रमांक—17 कंडिका संख्या—6. 5. 7

ध्यान देने योग्य बातें।

कृषि बाजार बोर्ड के दल द्वारा अध्ययन के लिए आदेश का दौरा करना

अनाजों, भोजन और सब्जियों के लिए बाजार अहाते का श्रेणीकर करने, श्रेणी नियंत्रण करने और डिजाईन बनाने तथा नष्ट होने वाले पदार्थों आदि का तुरन्त परिवहन करने की पद्धति से संबंधित विदेशी बाजार पद्धति का अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने लंदन,वाशिंगटन, फ्लोरिडा, पेरिस और स्पेन का भ्रमण करने के लिए कृषि मंत्री बिहार के नेतृत्व में चार सदस्यों का दल को अध्ययन के लिए विदेश का दौरा करने का अनुमोदन 27 मई, 1982 में दिया था। इस दल ने फ्रन्टफुट लन्दन, माईआमी, ओकलैन्ड, वाशिंगटन, न्यूयार्क, पेरिस, मैड्रिट और रोम का भ्रमण 6 अगस्त, 1982 के बीच किया गया। इस दौरे पर कुल 1. 66 लाख रु० खर्च किया गया। विदेश का दौरा पूरा होने पर अध्ययन दल द्वारा जमा किए गये प्रतिवेदन बोर्ड द्वारा विचार किये जाने की प्रतीक्षा है।

रोम का भ्रमण 6 अगस्त और 23 अगस्त 1982 के बीच किया गया। इसदौरे पर कुल 1.66 लाख रु० खर्च किया गया। विदेश का दौरा पूरा होने पर अध्ययन दल द्वारा जमा किये गये प्रतिवेदन बोर्ड द्वारा विचार किये जाने की प्रतीक्षा है।

विभागीय स्पष्टीकरण

समिति को इस पर विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशें

उक्त कंडिका की बिन्दुओं की समीक्षा विभाग अपने स्तर से करें और उस पर कारंवाई करें।

समिति उक्त निदेश के आलोक में इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक-18 कंडिका संख्या 6.1.(ख)

उपयोग प्रमाण-पत्र

जहां अनुदान विशेष प्रयोजन के लिये दिये जाते है वहां विभागीय अधिकारियों के लिए अपेक्षित है कि सरकार के वित्तीय नियमों के अनुसार एक साल के भीतर लेखा परीक्षा को इस आधार पर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि जिन प्रयोजनों के लिये दिये गये अनुदानों का प्रयोग प्राप्तकर्त्ता ने उसी प्रयोजन में समुचित ढंग से किया है।

वर्ष 1984-85 के दौरान देखा गया कि कृषि विभाग से संबंधित अप्रील, 1969 से मार्च, 1984 तक की अवधि के दौरान दिये गये अनुदान और 30 सितम्बर, 1985 तक प्राप्त नहीं किये गये अनुदान से संबंधित उपयोग प्रमाण-पत्र जिनका विवरण इस प्रकार है।

विभाग का नाम	वर्ष जिसमें अनुदान दिया गया	उपयोग प्रमाण-पत्र	राशि (लाख रु०. में)
कृषि	1975-76 से 1981-82 तक	58	1663.06
	1983-84	16	469.09
	कुल	74	2132.09

लम्बित उपयोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति में कोई प्रगति नहीं है।

उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अभाव में प्रशासन द्वारा लेखा परीक्षा द्वारा यह बताना संभव नहीं है किस सीमा तक प्राप्तकर्त्ताओं ने अनुदान का व्यय किया या जिस प्रयोजन अनुदान दिया गया था उसमें दिया अथवा नहीं ।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग से इस कण्डिका का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशें

अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के दिशा में विभाग कारगर कारवाई करें ।

उक्त निदेश के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

क्रमांक-19

कंडिका संख्या-7.1

प्रोफार्मा लेखा तैयार न करना

राज्य ट्रैक्टर संगठन, पूर्णियां ने वर्ष 1977 से (नवम्बर से अक्टुबर तक) प्रोफार्मा लेखा तैयार नहीं किया है। इस संगठन ने विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में कार्य करना बन्द कर दिया था क्योंकि मार्च, 1978 में इसे समाप्त विकेन्द्रीत कर दिया गया था । आग्रह के बावजूद भी इस संबंध में सुसंगत सरकारी आदेश की प्रतीक्षा है ।

विभागीय स्पष्टीकरण

राज्य ट्रैक्टर संगठन, पूर्णियां ने केन्द्रीय विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में वर्ष 1978 से ही काम करना बन्द कर दिया है । इस संबंध में लोक लेखा समिति ने सरकारी आदेश की अपेक्षा की है। राज्य ट्रैक्टर संगठन, पूर्णियां के परिसमापन।विकेन्द्रीकरण के संबंध में निम्नांकित विभागीय आदेशों के द्वारा आवश्यक कार्रवाईयां की गई :—

(1) विभागीय आदेश संख्या 3092, दिनांक 27 सितम्बर, 1977 द्वारा संगठन के अधीन कार्यरत 32 (बत्तीस) ट्रैक्टरों को चालक सहित विकेन्द्रित करते हुए भूमि संरक्षण निदेशालय के अधीन विभिन्न भूमि संरक्षण कार्यालयों में सामंजित कर दिया गया ।

(2) कृषि (भूमि संरक्षण) विभागीय राज्यादेश संख्या 835, दिनांक 4 मार्च, 1978 द्वारा राज्य ट्रैक्टर संगठन के अन्तर्गत कार्यरत ट्रैक्टर एवं संबंधित कर्मचारियों को विकेन्द्रित करते हुए 97 (सतानवे) पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को कोशी कमान्ड क्षेत्र विकास अभिकरण के अधीन पदस्थापित किया गया ।

(3) विभागीय आदेश संख्या 995, दिनांक 29 अप्रील, 1980 द्वारा 31 (एकतीस) ट्रैक्टर चालक सहित कृषि निदेशालय को हस्तान्तरित कर दिया गया।

(4) कुछ बचे हुए कर्मचारी, जिनका तत्काल सामंजन नहीं हो सका था के लिए राज्यादेश संख्या 142, दिनांक 23 जनवरी, 1981 द्वारा अंतिम रूप में योजना का अवधि विस्तार किया। तत्पश्चात सभी कर्मचारियों के सामंजन हो जाने के फलस्वरूप किसी अवधि विस्तार की आवश्यकता नहीं पड़ी।

(5) पूर्व में समिति की बैठकों में संगठन के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप संगठन से संबंधित सभी अंकेक्षण आपत्तियों को समिति द्वारा विलोपित किया जा चुका है। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं राज्यादेशों के आलोक में अनुरोध है कि विचाराधीन कंडिका की कार्रवाई को भी विलोपित किया जाय।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशें

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

समिति विभाग से अपेक्षा रखती है कि प्रोफार्मा लेखा तैयार कराये।

पटना :
दिनांक 18 फरवरी, 2002

रामदेव वर्मा,
सभापति,
लोक-लेखा समिति।

बि०स०मु० (एल०ए०) 34—मोनो—650-19-722-7-2002—

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2002